

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6-7, जाब्ला दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :- स्वाति गुप्ता
राजस्व वाद संख्या :- 157/2024

1. लक्ष्मी नारायण पुत्र मनोहरलाल जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. रणवीर बेनीवाल पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. मंगलसिंह पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. जयवीर पुत्र कृष्णलाल जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
5. जयप्रकाश पुत्र कृष्णलाल जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

-- दादीगण

बनाम

1. हरदयाल पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. इन्द्राज पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. कृष्णलाल पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. पृथ्वीराज पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
5. सरस्वती पत्नी हरदयाल जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
6. विमलादेवी पत्नी मनोहरलाल जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
7. पुष्पा कुमारी पुत्री पुत्री मनोहरलाल पत्नी मनोज कुमार जाति जाट निवासी 11 एम डबल्यू.एम. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
8. सुमन पुत्री मनोहरलाल पत्नी अनिल कुमार जाति जाट निवासी खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
9. ईन्द्रा पुत्री मनोहरलाल पत्नी आशीष कुमार जाति जाट निवासी जोरावरपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
10. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ।
11. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया जिला हनुमानगढ।
12. ममता पुत्री कृष्णलाल जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
मधुवाला पुत्री कृष्णलाल जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

-- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए.घोषणा व खाता विभाजन

निर्णय

दिनांक :- 27.08.2024

वादी की ओर से श्री संजय शर्मा अधिवक्ता व प्रतिवादीगण की ओर से जयनारायण शर्मा अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 27.08.2024 को

स्वाति गुप्ता आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर वाद पत्र स्वीकार योग्य होने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 53, 88 के अन्तर्गत स्वीकार किया जाकर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

- (क) वादी संख्या 1 लक्ष्मीनारायण को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 12 एफ.टी.पी.-बी खाता संख्या 160/139 पत्थर नम्बर 183/246(1) किला नम्बर 1/1/0.2280, 1/2/0.0250, 10, 11/0.5060 हैक्टर, चक नम्बर 3 डी.पी.एम खाता संख्या 161/141 पत्थर नम्बर 182/243(52) किला नम्बर 15/1/0.2280, 15/2/0.0250, 16/1/0.2280, 16/2/0.0250 पत्थर नम्बर 183/245(58) किला नम्बर 2/1/0.2280, 2/2/0.0250, 9, 12, 19, 22/1.012 हैक्टर, 21/0.05107, पत्थर नम्बर 184/243(54) किला नम्बर 13, 17, 18, 19, 20/1.2650 हैक्टर, 12/0.1520 हैक्टर।
- (ख) वादी संख्या 2 रणवीर को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 3 डी.पी.एम खाता संख्या 161/141 पत्थर नम्बर 185/237(18) किला नम्बर 12, 19, 20, 22/1.0120 हैक्टर, पत्थर नम्बर 184/243(54) किला नम्बर 5/1/0.1010, 6/0.050, 15/0.2530, पत्थर नम्बर 185/238(20) किला नम्बर 1/0.0260, 10/0.0260, 11/0.0260, चक 2 डी.पी.एम. खाता संख्या 165/143 पत्थर नम्बर 185/243(63) किला नम्बर 1/1/0.091, 1/2/0.0250, 10/0.2530 हैक्टर।
- (ग) वादी संख्या 3 मंगल सिंह को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 3 डी.पी.एम खाता संख्या 161/141 पत्थर नम्बर 184/243(54) किला नम्बर 6/0.2180, 7/0.2530, 14/0.2530 पत्थर नम्बर 185/238(20) किला नम्बर 1/0.2270, 2/0.2530, 9/0.2530, 10/0.2270, 11/0.2270 हैक्टर।
- (घ) वादी संख्या 4 जयवीर को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 3 डी.पी.एम खाता संख्या 161/141 पत्थर नम्बर 183/245(58) किला नम्बर 10, 11, 20/0.7590 हैक्टर, 21/0.2020, चक नम्बर 16 एफ.टी.पी. खाता संख्या 284/207 पत्थर नम्बर 179/248(41) किला नम्बर 8/0.2530 हैक्टर।
- (ङ) वादी संख्या 5 जयप्रकाश को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 3 डी.पी.एम खाता संख्या 118/111 पत्थर नम्बर 182/245(57) किला नम्बर 6, 7, 15/0.7590 हैक्टर, चक नम्बर 3 डी.पी.एम. खाता संख्या 161/141 पत्थर नम्बर 183/245(58) किला नम्बर 1/1/0.228, पत्थर नम्बर 183/244(55) किला नम्बर 22/0.253 हैक्टर।
- (च) प्रतिवादी संख्या 1 हरदयाल को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 16 एफ.टी.पी. खाता संख्या 284/207 पत्थर नम्बर 179/248(41) किला नम्बर 7/0.2530 हैक्टर।
- (छ) प्रतिवादी संख्या 2 इन्द्राज को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 3 डी.पी.एम खाता संख्या 161/141 पत्थर नम्बर 184/242(44) किला नम्बर 17, 18, 22, 23, 24/1.2650 हैक्टर, 25/0.1010, 16/0.0101 चक नम्बर 13 एम.के.एस. खाता संख्या 8/8 पत्थर नम्बर 177/237(32) किला नम्बर 4/1/0.2280, 4/2/0.0250, 5/1/0.2020, 5/2/0.0250, 5/3/0.0260, 6/1/0.2280, 6/2/0.0250, 7/0.2530, पत्थर नम्बर 178/237(31) किला नम्बर 1/1/0.228, 1/2/0.025, 10/0.253, पत्थर नम्बर 179/237(30) किला नम्बर 4/0.2530, 5/1/0.2150, 6/1/0.215 हैक्टर, पत्थर नम्बर 179/236(29) किला नम्बर 24/0.1260, 25/2/0.1070 हैक्टर।
- (ज) प्रतिवादी संख्या 3 कृष्णलाल को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 3 डी.पी.एम खाता संख्या 161/141 पत्थर नम्बर 183/245(58) मु.नम्बर 58 किला नम्बर 1/2/0.

0250, पत्थर नम्बर 184/243(54) किला नम्बर 2/1/0.2280, 2/2/0.0250, 3/1/0.2280, 3/2/0.0250, 4/1/0.2280, 4/2/0.0250, 8/9/0.5050 हैक्टर, 5/0.1520, 12/0.1010 हैक्टर।

(झ) प्रतिवादी संख्या 4 प्रथीराज को प्राप्त आराजी - चक नम्बर 3 डी.पी.एम. खाता संख्या 161/141 पत्थर नम्बर 182/241(41) किला नम्बर 1/1/0.2280, 1/2/0.0250, 2/1/0.2280, 2/2/0.0250, 10, 11, 20/0.7590 हैक्टर, पत्थर नम्बर 184/242(44) किला नम्बर 16/0.1520, 25/0.1520 चक नम्बर 2 डी.पी.एम. खाता संख्या 165/143 पत्थर नम्बर 185/242(57) किला नम्बर 20, 21, 22/0.7590 हैक्टर, पत्थर नम्बर 185/243(63) किला नम्बर 1/1/0.1970, 2/1/0.2280, 2/2/0.0250 हैक्टर, चक नम्बर 13 एम.के.एस. खाता संख्या 185/124 पत्थर नम्बर 179/237(30) 7, 14/0.5050 हैक्टर, 15/1/0.2150, 16/1/0.2150, 17/0.2530 हैक्टर।

आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर एकमसज अलग कायम कर चक नम्बर 3 डी.पी.एम. खाता संख्या 161/141 पत्थर नम्बर 184/243(54) किला नम्बर 5 में उत्तर से दक्षिण लम्बा पश्चिम दिशा के विपता 12 फुट चौड़ा शस्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किरम (यथा नहरी/बाराणी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 27-08-2021 को मर हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर



(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
टिब्बी

वाद के खर्च

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	---	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---	अर्जी के लिये स्टाम्प	---
प्रदर्शों के लिये स्टाम्प	---	प्लीडर की फीस	---
रूपये पर प्लीडर की फीस	---	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---	आदेशिका की तामिल	---
कमिश्नर की फीस	---	कमिश्नर की फीस	---
आदेशिका की तामिल	---	योग	---
योग	---		